डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-39/40, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

16/23 अप्रैल 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में तकनीकी, रोजगार और समावेश का नया इतिहास गढ़ता छत्तीसगढ़

तकनीकी क्रांति की राह पर छत्तीसगढ़, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ अब केवल खनिजों और खेतों की धरती नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में 11 अप्रैल को तीन ऐतिहासिक पहल शुरू की—सेमीकंडक्टर संयंत्र की आधारशिला, अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों को ऑफिस स्पेस का आबंटन और महिला-चालित ई-ऑटो सेवा का शुभारंभ। ये तीनों कदम नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ की 'सिलिकॉन वैली' और देश का नया तकनीकी गढ़ बनाने की ओर बढ़ते मजबूत कदम हैं। यह केवल विकास नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के सपने की ओर छत्तीसगढ़ का संकल्प है।

सेमीकंडक्टर संयंत्र
तकनीकी क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम

छत्तीसगढ़ में देश के सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखी गई। पोलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा 1,143 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह संयंत्र 10 अरब चिप्स का निर्माण करेगा, जो भारत को 6G/7G, टेलीकॉम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। पोलीमैटेक ने भविष्य में 10,000 करोड़ के निवेश का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। खनिज संपदा ही नहीं, तकनीकी समृद्धि का भी केंद्र बनेगा।

नवा रायपुर
आईटी हब बनने की ओर अग्रसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्गफुट का आधुनिक ऑफिस स्पेस सौंपा। खास बात यह है कि इसमें कार्यरत 87% कर्मचारी बीपीएल परिवारों से आते हैं और 83% आरक्षित वर्ग से यही है सच्चे अर्थों में समावेशी विकास। टेलीपरफॉर्मेंस और सीएसएम जैसी अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों को भी 75,000 वर्गफुट का क्षेत्र आबंटित किया गया है, जिससे 1500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

ई-ऑटो सेवा की शुरुआत
महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल

नवा रायपुर में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित होने वाली ई-ऑटो सेवा का शुभारंभ किया। यह पहल 40 महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर करेगी और पूरे नवा रायपुर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा सुनिश्चित करेगी। 'लखपति दीदी योजना' के तहत महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

युवाओं, किसानों और उद्योगों को एक साथ मिली नई उड़ान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास को नई दिशा देने वाले और भरोसे को मजबूत करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

- राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्थानीय युवाओं को दी गई परीक्षा फीस अब लौटाई जाएगी।
- छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी गई।
- छत्तीसगढ़ बनेगा फैशन शिक्षा का नया सेंटर, 271.18 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आधुनिक कैंपस।
- नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिए बायो-CNG संयंत्रों की स्थापना को मिली मंजूरी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में वितरित की जाने वाली शक्कर का क्रय राज्य की सहकारी चीनी मिलों से किया जाएगा।
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी।

'मोर दुआर - साय सरकार महाअभियान' का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से 'मोर दुआर - साय सरकार महाअभियान' का शुभारंभ किया। यह महाभियान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 'आवास प्लस 2.0' सर्वेक्षण के लिए प्रदेशभर में 15 से 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं गांव पहुंचकर हितग्राहियों के घरों में जाकर सर्वेक्षण किया और अभियान की मंशा को धरातल पर उतारने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। यह अभियान जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ चलेगा, ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ समय पर मिल सके।"

अभियान तीन चरणों में

- पहला चरण (15-19 अप्रैल): जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारी और प्रारंभिक सर्वेक्षण।
- दूसरा चरण (20-28 अप्रैल): सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर पात्र परिवारों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण।
- तीसरा चरण (29-30 अप्रैल): सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति तथा अंतिम रिपोर्ट राज्य कार्यालय को प्रेषित।

हर गांव में होगा सर्वेक्षण

राज्य सरकार की विशेष पहल पर शुरू हुए इस महाअभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी, जिन्हें अब तक किसी भी आवास योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिला है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के तहत आवास स्वीकृत किया जाएगा।

मोर दुआर - साय सरकार महाअभियान

मुख्यमंत्री की उस सोच का विस्तार है, जिसमें सरकार खुद जनता के द्वार पर पहुंचकर उनकी जरूरतों को समझती है और समाधान करती है।

निवेश का नया हब

छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 निवेश राज्यों में शामिल

देशभर में निवेश के लिए किए गए एक सर्वेक्षण में राज्य को देश के शीर्ष दस निवेश गंतव्यों में स्थान मिला है। प्रोजेक्ट टुडे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को 218 नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कुल 1,63,749 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है।

अब तक राज्य में कुल 4.4 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हो चुका है, जो इसे भारत के तेजी से उभरते औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करता है।

एक और गारंटी पूरी

सीएससी के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू, सरकार का उद्देश्य सभी को लाभ पहुंचाना

छत्तीसगढ़ की 1460 पंचायतों में शुरू होंगी डिजिटल सेवाएं

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिजिटल सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद, 'अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र' के तहत ग्रामीणों को नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

ग्रामीणों को मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं

- नगद निकासी व ट्रांजैक्शन सुविधा
- बिजली-पानी बिल का भुगतान
- पेंशन और बीमा सेवाएं
- जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज

योजनाओं का लाभ गांव में

- किसान धान भुगतान,
- महतारी वंदन योजना की राशि
- वृद्धावस्था व विधवा पेंशन का वितरण
- डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधा लाभ

डिजिटल साक्षरता

प्रशासन में पारदर्शिता

सीएससी के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच हुए इस एमओयू से न केवल डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी, बल्कि यह ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हमने मोदी जी की गारंटी के तहत पिछले सवा साल में कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा किया है और अब डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।"

रिक्रूटमेंट नोटिस

दिल्ली यूनिवर्सिटी
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 16
अंतिम तिथिः 26 अप्रैल
https://www.du.ac.in/

बीपीएससी
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 1722
अंतिम तिथिः 7 मई
https://bpsc.bihar.gov.in/

भारतीय रेलवे
पदः असिस्टेंट लोको पायलट
पद संख्याः 9900
अंतिम तिथिः 9 मई
https://ind ianrailways.gov.in/

सीसीआईएलटीडी
पदः अपर-महाप्रबंधक व अन्य
पद संख्याः 14
अंतिम तिथिः 12 मई, 2025
cciltd.in

यूकेएसएसएससी
पदः ग्रुप सी
पद संख्याः 416
अंतिम तिथिः 15 मई
https://sssc.uk.gov.in/

ASRB NET 2025
पदः ARS सहित अन्य
पद संख्याः 582
अंतिम तिथिः 21 मई 2025
asrb.org.in

एएआई
पदः जूनियर एग्जीक्यूटिव
पद संख्याः 309
अंतिम तिथिः 24 मई
https://www.aai.aero/

वर्ष-22, अंक-39/40, रायपुर
रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : विक्रांत
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

भारत के सबसे सुंदर जलप्रपातों में से एक जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है।

शांति की राह पर एक नई शुरुआत
छत्तीसगढ़ में लागू हुई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025

पुनर्वास समिति गठित करने के निर्देश, आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ितों को मिलेगा सम्मान और सहायता

छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और हिंसा से पीड़ित नागरिकों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025' को राज्य में लागू कर दिया है। यह नीति गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को अधिसूचित की गई और अब इसे सभी जिलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके द्वारा जमा किए गए हथियारों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही, हिंसा से प्रभावित नागरिकों को भी राहत एवं पुनर्वास के प्रावधानों का लाभ मिलेगा।

डिजिटल पोर्टल पर ट्रैक होगी

गृह विभाग एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है, जहां आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ितों की जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे उनकी पुनर्वास प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग संभव होगी।

आत्मसमर्पण पर प्रोत्साहन राशि

राशि	हथियार
5 लाख रुपए	LMG पर
4 लाख रुपए	AK-47 / त्रिची असॉल्ट राइफल
2 लाख रुपए	SLR / इंसास राइफल
2.50 लाख रुपए	मोर्टार पर
1.50 लाख रुपए	MP-9 टैक्टिकल पर
1 लाख रुपए	थ्री नॉट थ्री राइफल पर

जिलों में पुनर्वास समिति गठित होगी

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वास समिति का गठन किया जाएगा। समिति में पुलिस अधीक्षक सचिव होंगे, जबकि वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, दो नामांकित अधिकारी एवं सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

प्रत्येक जिले और उप-मंडल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है, जो नीति से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेंगे। इनकी जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

अब तक के प्रकरण होंगे चिन्हित

गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि वर्ष 2000 से अब तक के सभी नक्सली हिंसा पीड़ितों के प्रकरणों को चिन्हित कर, प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाए।

रेलवे में 9970 असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर भर्ती

भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9970 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 11 मई 2025 है। यह भर्ती बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता और अन्य रेलवे भर्ती बोर्डों के तहत की जाएगी। बिलासपुर में 568, भुवनेश्वर में 928, कोलकाता में 720 और सिकंदराबाद में 1500 पद हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 250 रुपये निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यताः मैट्रिकुलेशन और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में 150 पदों पर भर्ती

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) में 150 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इन पदों के लिए इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उनके योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2025 है। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने तक अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा, और उन्हें हर महीने 8000 से 9000 रुपये का वेतन मिलेगा।

NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 400 पदों पर भर्ती

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार अधिक जानकारी npcilcareers.co.in वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए योग्यता संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक की डिग्री है। चयन के लिए गेट 2023, गेट 2024 या गेट 2025 में वैलिड स्कोर प्राप्त किया होना जरूरी अनिवार्य है। गेट 2022 या उससे पहले के स्कोर वैलिड नहीं होंगे। चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जायेगा। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ व्यापम में ADEO के 200 पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO) के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 2 मई 2025 तक vyapam.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रामीण विकास में डिप्लोमा या पीजी डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी और एडमिट कार्ड 6 जून को जारी किए जाएंगे। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगा।

नगर सैनिकों की लिखित परीक्षा 22 जून को

छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग द्वारा 1715 महिला नगर सैनिक (छात्रावास ड्यूटी) एवं 500 नगर सैनिक (जनरल ड्यूटी) पदों के लिए लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में होगी। 20,137 अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया गया है जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी को व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर 16 अप्रैल से 30 मई तक पंजीयन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना पंजीयन के प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा।

रेलवे में अप्रेंटिस के 933 पदों पर भर्ती

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) ने नागपुर डिवीजन और वर्कशॉप मोतीबाग में अप्रेंटिस के 933 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर 4 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक आवेदन के पात्र हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 7700 रुपए से 8050 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, एससी, एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ समय पर आवेदन कर सकते है।

रोजगार और नियोजन का एप लॉन्च

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़

आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान

आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। राज्य को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमैट्रिक आधार अपडेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित "आधार संवाद" कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (फायनेंस) श्री तेनतु सत्यनारायण द्वारा सौंपा गया। राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ सदन के श्री मनीष जोशी ने यह सम्मान ग्रहण किया। राज्य में 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार चिप्स द्वारा पिछले एक वर्ष में राज्य के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुल 944 विशेष आधार शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 38,762 नागरिकों का आधार पंजीयन एवं अद्यतन किया गया।

पर्यटन को बढ़ावा देने तैयार किए जाएंगे टूरिज्म कॉरिडोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन, वन और जल संसाधन विभाग एकीकृत कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन आधारित पर्यटन, महानदी, इन्द्रावती नदी एवं प्रदेश के प्रमुख बांधों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश की शक्ति पीठों में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख पर्यटन स्थलों में आस-पास के स्थलों को शामिल कर पर्यटन सर्किट और कारीडोर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से सहायता के लिए प्रदेश की पर्यटन परियोजनाओं के नये प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने झरिया मोबाइल ऐप व वेबपोर्टल किया लॉन्च

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर के पचेड़ा में 'झरिया' एल्कलाइन वॉटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट का संचालन पचेड़ा, अभनपुर के शारदा स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। प्लांट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने समूह की दीदियों से बातचीत की और एल्कलाइन वॉटर बॉटलिंग प्लांट संबंधी जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर प्लांट के एल्कलाइन पेयजल का स्वाद भी चखा और कहा कि एल्कलाइन जल शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। बिहान समूह की महिलाओं द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यूनिट के संचालन को मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही रायपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा शुरू होगी। इससे किसानों की उपजों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट मिलेगा और उन्हें फायदा होगा। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई-बहनों से मिलेट्स, मक्का और ऐसी फसलों के उत्पादन का आग्रह किया, जिनमें पानी की खपत कम होती है। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिसमें किसानों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आय बढ़ाने के लिए किसानों से खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन को अपनाने पर भी जोर दिया।

जशपुर जिले के 63 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को 63 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जिला मुख्यालय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में 59.75 करोड़ रुपये के 22 कार्यों का भूमिपूजन और 3.64 करोड़ रुपये के 5 कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें जय स्तंभ चौक के सौंदर्यीकरण, छात्रावासों के निर्माण, सामुदायिक भवन, कम्पोस्ट सेंटर और आरआर सेंटर जैसी जनोपयोगी परियोजनाएं शामिल हैं।

दंतेवाड़ा में 26 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

राज्य सरकार द्वारा नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे निर्णायक अभियानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले में 26 हार्डकोर नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो राज्य की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति – 2025 की सफलता और विश्वसनीयता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर सुरक्षाबलों के जवानों को सहृदय बधाई देते हुए कहा कि नक्सलवाद के समूल नाश के हमारे संकल्प को निरंतर सफलता मिल रही है। इस उपलब्धि में नियद नेल्ला नार योजना और लोन वर्राटू अभियान की अहम भूमिका रही, जो आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं।

समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ

जशपुर और कबीरधाम जिले के पांच विकासखण्डों में गरीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। नया रायपुर के होटल मेफेयर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकासखंडों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्ययोजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी।

राष्ट्रीय

भारत-उज्बेकिस्तान सैन्य संबंधों को मजबूती देता 'डस्टलिक-6' का आरंभ

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक-6 का छठा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 60 सैनिकों वाले जाट रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों को संयुक्त सैन्यव कौशल, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह रक्षा सहयोग को भी बढ़ाएगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। यह अभ्यास 28 अप्रैल तक जारी रहेगा।

कॉलेजों में अब सभी कोर्स में होगी एआई की पढ़ाई

एआईसीटीई ने तकनीकी शिक्षा को एआइ से जोड़ने के लिए नई कमेटी बनाई है। यह कमेटी एआइ को सभी स्ट्रीम्स में शामिल करने की दिशा में काम करेगी। एआईसीटीई के चेयरमैन प्रो. टीजी सीताराम ने कहा, कमेटी एआई को सभी कोर्स में लेटरल तरीके शामिल करने पर काम करेगी।

SBI के लोन सस्ते, ब्याज दरों में 0.25% की कटौती

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। बैंक ने अपने लोन सस्ते कर दिए हैं। एसबीआई ने. रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) में 25 बेसिस प्वाइंट यानी 0.25% की कटौती की है।

'फ्लीट' की पहली महिला पायलट श्रद्धा

कैप्टन श्रद्धा भारतीय सेना की चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल केएस भल्ला के साथ हेलीकॉप्टर को को-पायलट किया। श्रद्धा 2020 में सेना में शामिल हुई थीं और 2023 में उड़ान की शुरुआत की। वह 165 घंटे की सोलो फ्लाइंग कर चुकी हैं।

अब रिजर्व बैंक का वॉट्सएप चैनल, मिलेंगे अपडेट संदेश

रिजर्व बैंक ने वित्तीय जानकारी को अधिक आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए वॉट्सएप चैनल लॉन्च किया है। आरबीआई इसका इस्तेमाल सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और धोखाधड़ी से बचाव के बारे में जागरूकता संदेश देने के लिए करेगा। चैनल से बैंक द्वारा जारी क्यूआर कोड के जरिये जुड़ सकेंगे।

नए आयकर विधेयक-2025 पर संसद भवन में लोकसभा की प्रवर समिति ने बैठक की

लोकसभा की प्रवर समिति ने संसद भवन में नए आयकर विधेयक-2025 पर चर्चा के लिए बैठक की। सांसद बैजयंत पांडा 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित अधिनियम को समेकित और संशोधित करना है। इसे संसद के बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। बाद में विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया।

जापान 320 किमी/घंटे की गति वाली ई5 और ई3 बुलेट ट्रेन भारत को फ्री में देगा

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान भारत को दो शिंकानसेन ट्रेन ई 5 और ई 3 मुफ्त में देगा। इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है, ताकि यहां के उच्च तापमान और धूल जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच ट्रायल का परिचालन डेटा जुटाया जा सके। वैसे, जापान अभी ई10 मॉडल बना रहा है, जो आधुनिक होने के साथ साथ ई3 और ई5 की तुलना में तेज होगा। जापान टाइम्स के मुताबिक ई10 को दोनों देशों में एक साथ ट्रैक पर उतारने मंथन चल रहा है, लेकिन मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर का कुछ हिस्सा परिचालन के लिए अगस्त 2027 में शुरू किया जा सकता है।

अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे कैप्टन शुभांशु

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा पर जाएंगे। वह अमेरिका के एक्सिओम-4 मिशन के तहत जा रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि शुक्ला की यह यात्रा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत है। शुक्ला को इसरो के ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया है। वे गगनयान मिशन के लिए भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। यह अनुभव भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद अहम होगा।

2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर नहीं लगेगा जीएसटी

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे कुछ खास शुल्कों पर लगाया जाता है। सरकार के 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार करने की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने कहा, यह पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लेह में दुनिया का पहला 3डी प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार

सेना के लिए लेह में दुनिया का पहला ऑन-साइट 3डी-प्रिंटिड मिलिट्री बंकर तैयार किया गया है। बंकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे उच्च ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले हालो परिस्थितियों में बनाया गया। इसे आईआईटी हैदराबाद और हैदराबाद स्थित डीप-टेक स्टार्टअप सिंप्लिफोर्ज क्रिएशन्स ने मिलकर पूरा किया। प्रोजेक्ट "प्रबल" के तहत ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मिलिट्री बंकर बनाने की योजना है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर के वीएन सुब्रमण्यम के अनुसार, प्रोजेक्ट को दो हफ्तों में पूरा किया गया। बंकर की सतह पर विशेष ज्यामितीय पैटर्न बनाए गए हैं।

पीएम मोदी और मस्क की बातचीत तकनीकी सहयोग पर भी हुई चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क से फोन पर बात की। दोनों के बीच प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। पीएम ने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा, भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्षेत्र में तेजी से बढ़ती भूमिका वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है। इस चर्चा के दौरान भविष्य की साझेदारियों, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को लेकर उत्साह जताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नवाचार और निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य बन गया है। वहीं, मस्क ने भी भारत में निवेश और विस्तार की संभावनाओं को लेकर रुचि दिखाई।

अंतरराष्ट्रीय

लॉरेन सांचेज सहित महिला सेलिब्रिटी अंतरिक्ष रवाना

अमेरिकी कारोबारी जेफ बेजोस की कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' ने लॉरेन सांचेज को कैटी पेरी और गेल किंग सहित अन्य महिला सेलिब्रिटी के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना किया। न्यू शेपर्ड रॉकेट ने वेस्ट टेक्सास से उड़ान भरी। इस अंतरिक्ष यात्री दल की सभी सदस्य महिलाएं हैं। हेलीकॉप्टर पायलट और पूर्व टीवी पत्रकार सांचेज ने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को 10 मिनट की पूरी तरह से स्वचालित उड़ान के लिए आमंत्रित किया, जिसमें गायिका- गीतकार पेरी और 'सीबीएस मॉर्निंग्स' की सह-प्रस्तोता किंग भी शामिल थीं। इस अंतरिक्ष यात्रा पर फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन, नासा की पूर्व इंजीनियर आइशा बोवे, और वैज्ञानिक अमांडा गुयेन भी गई हैं।

मलेशिया के पूर्व पीएम अब्दुल्ला अहमद का निधन

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद बदावी का हृदय की बीमारी के कारण निधन हो गया। कुआलालंपुर स्थित अस्पताल 'इंस्टिट्यूट जातुंग नेगरा' ने यह जानकारी दी। बदावी का इस अस्पताल में उपचार चल रहा था। वह 85 वर्ष के थे। वे मलेशिया के पांचवें प्रधानमंत्री थे।

भारत-नेपाल की व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति

भारत और नेपाल ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध और तस्करी रोकने के लिए परस्पर सहयोग में तकनीक का समावेश बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता 10-11 अप्रैल, 2025 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी।

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। राजधानी लीमा की एक अदालत ने उन्हें 2006 और 2011 में अपने चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए वेनेजुएला सरकार और ब्राजील की एक निर्माण कंपनी से अवैध धन लेने का दोषी पाया। उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी इस मामले में दोषी पाया गया और उन्हें भी 15 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। हालाँकि, ब्राजील के दूतावास में शरण मांगने के बाद उन्हें ब्राजील जाने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच, हुमाला के वकील ने कहा है कि वह सजा के खिलाफ आगे अपील करेंगे।

चीन ने अपने शीर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताकार के रूप में ली चेंगांग को नियुक्त किया

चीन ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच अपने शीर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताकार के रूप में ली चेंगांग को नियुक्त किया है। जिन्होंने चीन और अमरीका के बीच वर्ष 2020 के व्यापार सौदे के लिए व्यापार वार्ता में हिसाब लिया था। अमरीका द्वारा कई देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के सामानों पर लगातार टैरिफ बढ़ा रही हैं। चीन को वर्तमान में अमरीका को निर्यात पर एक सौ 45 प्रतिशत कर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य देशों को अधिकांश शुल्कों के लिए 90 दिनों की छूट दी गई है। इससे पहले, चीन ने घोषणा की थी कि जनवरी से मार्च के दौरान उसकी अर्थव्यवस्था पांच दशमलव चार प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी है।

सिंगापुर में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने संसद को भंग किया

सिंगापुर में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सलाह पर संसद को भंग कर दिया है। इससे आम चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री वोंग सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) के नेता के रूप में अपना पहला जनादेश प्राप्त कर सकेंगे। चुनाव विभाग द्वारा मतदान की तिथि निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। पिछले साल वोंग ने सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू के बेटे ली सीन लूंग का स्थान लिया था, जिससे प्रभावशाली ली परिवार के दशकों के नेतृत्व के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी।

ब्रिटेनः भारतीय मूल की मुमताज पटेल बनीं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अध्यक्ष

भारतीय मूल की डॉक्टर मुमताज पटेल को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का अध्यक्ष चुना गया है। 500 साल पुरानी संस्था के इतिहास में वे यह पद संभालने वाली भारतीय मूल की पहली महिला होंगी। मुमताज नेफ्रोलॉजिस्ट हैं।

धरती से 124 प्रकाशवर्ष दूर जीवन के संकेत मिले

ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रह के2-18बी पर जीवन के संकेत खोजे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के वातावरण में डायमेथाइल सल्फाइड (DMS) और डायमेथाइल डिसल्फाइड (DMDS) रसायनों की मौजूदगी पाई है, जो पृथ्वी पर केवल जीवित प्राणी ही बनाते हैं। इससे ग्रह पर जीवन की प्रबल संभावना जताई गई है। भारत मूल के खगोलशास्त्री प्रो. निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में यह शोध हुआ है। यह खोज ब्रह्मांड में जीवन की तलाश की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

भारत-अमेरिका में व्यापार समझौते पर हुई सहमति

टैरिफ के बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका में व्यापार समझौते को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देशों के अधिकारी इस पर चर्चा करेंगे। इसमें टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और सीमा शुल्क सुविधा जैसे लगभग 19 अध्यायों को शामिल करने वाले संदर्भ की शर्तें शामिल हैं। भारतीय आधिकारिक दल ट्रंप प्रशासन की ओर से घोषित 90 दिवसीय टैरिफ विराम अवधि में वार्ता को और गति देने तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू करने से पहले कुछ मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए अमेरिका का दौरा कर रहा है।

धरती पर लौटे सबसे उम्रदराज अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेटिट

अमेरिका के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट अपने 70वें जन्मदिन पर धरती लौट आए। वे रूस के दो अंतरिक्ष यात्रियों अलेक्सी ओवचिनिन और इवान वैगनर के साथ सोयूज एमएस-26 कैप्सूल में सवार थे। यह कैप्सूल कजाकिस्तान के मैदानों में पैराशूट की मदद से सुरक्षित उतरा। तीनों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 220 दिन बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 3,520 बार परिक्रमा की। यह डॉन पेटिट का चौथा अंतरिक्ष मिशन था। अब तक वे कुल 590 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड जॉन ग्लेन के नाम है।

खेल / कला

सूरज सिंह परिहार और आकर्षि कश्यप की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता

अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मिक्सड डबल्स स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। स्पर्धा का रजत पदक भी छत्तीसगढ़ के नाम रहा। केरल के क्षेत्रीय खेल केन्द्र राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कदवंथरा, एर्नाकुलम में 11 से 15 अप्रैल तक आयोजित अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने 43 टीमों के बीच पदक तालिका में तीसरे स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते। केरल के कोचीन में 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इससे पहले चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ ने 5 पदक जीते गए थे।

ऋतुराज आईपीएल से बाहर, धोनी सीएसके के कप्तान

चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को आईपीएल 2025 में झटका लगा है। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को कोहनी में फ्रैक्चर हो गया है। इसके चलते वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी फिर से कप्तानी संभालेंगे।

शूटिंगः सुरुचि-सौरभ को मिक्स्ड पिस्टल में ब्रॉन्ज

भारतीय शूटर सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी ने वर्ल्ड कप के एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज जीत लिया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में ओलिंपिक डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और रविंदर सिंह को 16-8 से हराया। यह सुरुचि का इस वर्ल्ड कप में दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने महिला एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में भारत ने चार गोल्ड समेत 8 मेडल हासिल किए और दूसरे स्थान पर फिनिश किया।

मोंटे कार्लो मास्टर्स : कार्लोस अल्कारेज पहली बार चैम्पियन

वर्ल्ड नंबर-3 स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज मोंटे कार्लो मास्टर्स के चैम्पियन बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में वर्ल्ड बैंक-16 इटली के लोरेंजो मुसेटी को 3-6, 6-1, 6-0 से मात देकर अपना छठा मास्टर्स खिताब हासिल किया है। पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे मुसेटी बाएं पैर में खिंचाव से जूझते रहे। तीसरे सेट में वे एक भी पॉइंट नहीं बना सके। यह 21 वर्षीय अल्कारेज का 13 महीनों में पहला मास्टर्स 1000 खिताब रहा।

17 वर्षीय पालोमेरो एटीपी टूर पर जीतने वाले पहले खिलाड़ी

जर्मनी के 17 साल के डिएगो डेडुरा-पालोमेरो 2008 में जन्मे एटीपी टूर पर मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। डेडुरा-पालोमेरो ने बीएमडब्ल्यू ओपन के शुरुआती दौर में डेनिस शापोवालोव को पछाड़ने में सफल रहे। शापोवालोव जब मुकाबले में 7-6 (2), 3-0 से पीछे चल रहे थे तब उन्होंने इससे हटने का फैसला किया जिससे डेडुरा-पालोमेरो को जीत मिल गयी। एटीपी ने कहा कि डेडुरा-पालोमेरो से कम उम्र के केवल चार खिलाड़ियों ने एटीपी टूर पर जीत दर्ज की है। इसमें 1984 में 16 वर्षीय ओरिस बेकर भी शामिल हैं।

लुकास ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में तैराकी का विश्व रिकॉर्ड बनाया

ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के लुकास मार्टेंस ने स्विम ओपन स्टॉकहोम' में पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल में रिकॉर्ड बनाया। मार्टेंस ने पुरुषों की 400 मीदर फ्रीस्टाइल स्पर्धा तीन मिनट 39.96 सेकेंड में पूरी की जिसे यह तीन मिनट 40 के बैरियर को तोड़ने वाले पहले तैराक बन गए। तेईस वर्षीय मार्टेंस ने 2024 पेरिस ओलरिक में 3:41.78 के समय के साथ 400 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था।

श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया

भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान शानदार बल्लेबाजी करने के लिए आईसीसी मेन्सप प्लेयर ऑफ द् मंथ चुना गया है। अय्यर ने अंतिम तीन मैच में 57 दशमलव तीन-तीन के औसत से कुल 172 रन बनाए। वे टूर्नामेंट के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 48 दशमलव 60 के औसत से कुल 243 रन बनाए। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द् मंथ चुना गया है।

पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती

पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। इससे पहले तीसरे-चौथे स्थाशन के लिए हुए मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 5-1 से शिकस्त दी।

धीरज बोम्मदेवरा ने फ्लोरिडा में जीता रजत, भारत को मिला कुल 4 पदक

तीरदांजी में अमरीका के फ्लोरिडा में तीरदांजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज बोम्मदेवरा ने रजत पदक जीता। धीरज ने पुरुषों के निजी रिकर्व स्पर्धा में एन्ड्रेस टेमिनो मेडिएल को 6-4 से हराया। यह इस प्रतियोगिता में धीरज का दूसरा पदक भी है। इस जीत के साथ भारत में तीरदांजी विश्व कप में कुल 4 पदक जीते। जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और दो कास्य पदक हैं। भारतीय टीम पदक तालिका में चौथे स्थान पर रही। इससे पहले तरुन दीप राय और अतनू दास के साथ धीरज ने रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में एक रजत पदक जीता। कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम और रिषभ यादव की जोडी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अभिषेक वर्मा, रिषभ यादव और ओजस देवताले की पुरुष कंपाउंड टीम ने कास्य पदक जीता।

पहला ऐतिहासिक आईबीएसएफ विश्व खिताब जीता सौरव ने

भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में कई बार के विजेता पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर 2025 आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया। क्यू स्पोर्ट्स की दुनिया ने स्नूकर और बिलियर्ड्स आयरलैंड (एसबीआई) अकादमी में प्रतिष्ठित खिताब के लिए भारत के दो बेहतरीन खिलाड़ियों कोठारी और आडवाणी के बीच रोमांचक मुकाबला देखा। कोठारी (40 वर्ष) आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर चैंपियन बने।

नीरज को 84.52 मीटर भाला फेंक में गोल्ड मेडल

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और डबल ओलिंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 2025 के सीजन में दक्षिण अफ्रीका में पोचेफस्ट्रूम इनविटेशनल में 84.52 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। छह खिलाड़ियों के बीच हुए इस टूनमिंट में दक्षिण अफ्रीका के 25 वर्षीय डी स्मिट ने 82.44 मीटर के शो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

Directorate Sports & Youth Welfare Department

Sardar Vallabh Bhai Patel, International Hockey Stadium Raipur

Phone Number -0771-2262177 Email:- dir-sportsyw.cg@gov.in

-:: RECRUITMENT ADVERTISEMENT ::-

Director, Sports & Youth Welfare invites application from eligible. qualified and motivated Indian Citizen for providing consultancy on contract basis initially for period of 01 years and further extendable on the basis of satisfactory performance at Khelo India State Centre of Excellence Bahatari. Bilaspur.

Post detail as Follow :-

S.No	Post	Number of Post	Remuneration
01	High Performance Manager	1	100000-150000
02	Head Coach Hockey	1	100000-150000

www.sportsyw.cg.gov.in.

Director, Sports & Youth Welfare reserves all the rights to withdraw this advertisement at any time without assigning any reason. For any recruitment related query, e-mail to dir-sportsyw.cg@gov.in

-: Detail of Post :-

01. <u>High Performance Manager</u> :-

Eligibility Criteria:

Criteria	High Performance Manager
Eligibility Criteria	Master Sports (MSI/PHD/MBA with at least 10 Years of Research Experience **OR** Eminent players having represented India in Senior Category with at least 5 Years of sports management/ Research experience **OR** Eminent Coach having trained Indian Player with at least 10 years of sports management/Research experience

Scoring Criteria for High Performance Manager

CATEGORIES FOR EVALUATION	MAX MARKS	SCORING OF MARKS (out of 100)
Total Work experience	20	2 marks for every completed 1 year of work experience in the field of sports will be awarded, upto a maximum of 20 marks
Higher Educational Qualification	10	10 marks for attaining Ph.D. in Physical Education, Management, Sports Science or any other relevant domain in the field of sports
Performance Monitoring &Evaluation	30	Clarity on subject matter related to performance of athletes, test protocols, weeding out, continuous evaluation, training programm designs, Long term athlete development, etc.
Sports Science	20	Knowledge of sports science related verticals, integration of sports science with overall development of athlete, recovery and rehabilitation, etc.
Organization & Development	10	How to create a winning culture and environment, managing coaching staff and support staff, coordination with Sports department, bringing out the best with the available talent & equipment, etc.
Sports Development	10	Develop and implement junior athlete programs, talent identification, etc.

Age Limit: There is an upper age limit of 65 years.

Job Description :-

Role Title	High Performance Manager
Reports to	Director, Sports & Youth Welfare.
Area	**Performance Evaluation & Management**
Organisation	Director, Sports & Youth Welfare.
Location	Khelo India State Centre Of Excellence Bahtari, Bilaspur.
Roles that report to this position	**High Performance Team Members**

ROLE PURPOSE

Under the guidance of the Director, Sports & Youth Welfare the High Performance Director's, primary responsibilities of the role are:-

- Development and implementation of the Khelo India State Centre Of Excellence Bahtari, Bilaspur National high performance programmed and policies and the associated training programmes it encompasses.
- To lead and develop a professional, high-performing team to ensure the effective, efficient and economic delivery of performance investment and support programs.
- Provide overall leadership to develop training programs for athletes training in Khelo India State Level Centres of Excellence (KISCE), Khelo India scheme and other training centres of Directorate, Sports & Youth Welfare.
- Work closely with program coaches, sports scientists and athletes in performance monitoring across training and competition settings, to track data and provide detailed analytical information to both.
- Continually monitor new developments in the performance spectrum for knowledge enhancement of Coaches and the members of the high performance team.

KEY CHALLENGES

- Working within a highly competitive, complex multi-sport environment.
- Working together with multiple stakeholders with varying interests and agendas.
- Working to provide cross discipline delivery of performance requirements in close association with other experts.

Key Accountability :-

Operational	Description
Performance Evaluation	• Ensure performance assessment of all athletes under the applicable schemes in accordance with NSF approved protocols • Carry out athlete performance analysis in consultation with the high performance team • Continuous evaluation of test protocols with the team to recommend betterment of the system. • Work with other team members to assess appropriate intervention policies and athlete requirements and be part of regular athlete assessments and performance reviews.
Monitoring	• Complete training programme designs and implementation at Khelo India State Centre Of Excellence Bahtari, Bilaspur KISCE. • Implementation of Sports Science deductions by the team in correct time frame and coordination. • Data entry of all performance tests.
Data Assimilation	• Collection and Data entry of tests in NSRS System. • Continuous usage of the system by all Coaches and high performance team members.
General	• Work collaboratively with all Coaches, other Sports Science team members towards organizational and performance driven outcomes. • Ensure availability of all lab and field equipment in operational readiness.

क्रमशः

Role	Description
Performance Driver	• Plan, oversee, implement and evaluate all elements of national high-performance program and athlete channels to ensure sustainable excellence by KISCE athletes. Ensure Coach led- Athlete centric development. • Document goals and program plans in KISCE strategic, high performance, and annual plans. • Provide leadership and technical expertise to all high-performance program stakeholders. • Communicate the vision and goals of the high-performance program. • Advise sports scientists, medical, para medical staff and project managers to study and analyze international developments, performance and rehabilitation and recovery trends. • Attend to training venues, playfield during training hours from time to time and also attend to games and competitions to provide overarching guidance towards Athlete Assessment. • Ensure continuous need analysis by the team for performance enhancement of athletes in conjunction with Directorate, Sports & Youth Welfare.
Sport Development	• Implement Junior athlete development programmes. • Coordinate,integrate and lead talent identification programmes • Develop, promote and implement structured athlete pathways to feed into the high performance system. • Retain and nurture athletes. • Optimize development for athletes and coaches at all levels of sport development pathways.
Organisation & Management	• Create a winning culture and environment across the high-performance program. • Ensure the provision of optimal coaching, science medicine and lifestyle support to athletes on the high-performance program. • Recruit, direct and manage a coaching and support team with the skills and experience necessary to ensure that the goals of the high-performance plan are achieved. • Set and review annual performance objectives for all High-Performance staff. • Work closely with sports scientists and medical and para medical staff to implement an optimal sports science and medical support structure. • Ensure good staff morale through effective people management practices and behavior.
Personnel Management	• Align and support coaches in implementation of performance and training program objectives. • Manage and coordinate the activities of KISCE Bahtrai Bilaspur Team Programs coaches and staff including sport science and paramedical personnel • Direct and manage KISCE Athletes Project Managers/ Project Leaders. • Direct high performance administrative work in partnership with KISCE Bahtrai Bilaspur.

02. Head Coach Hockey:-

Eligibility Condition:

Essential Conditions/Education Qualification:

Candidate should have diploma in Coaching from SAI/NS NIS or from any other recognized Indian/Foreign University and should have represented India in Olympics/World Cup/World Championship. Certificate Course from concerned National/International Federation is a must. Working knowledge of computer is essential. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

OR

Experience in Coaching with Senior/Junior Indian teams or Decoration of Dronacharya/Arjuna/Dhyan Chand Award or who have produced medalists in International Competitions. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

OR

Central Government / State Government / PSU employees may be allowed to apply for the position. However, the applicable recruitment rules of the Department of Personnel & Training (DoPT) will be applicable for all such postings on deputation.

DESIRED QUALIFICATION:-

- Demonstrated experience in planning, organizing and implementing a comprehensive high performance coaching programmed for international teams and athletes.
- Knowledge of leading trends in coaching, including coaching science. practices and the appropriate application of leading technology tools.
- A background in teaching to provide mentoring and instruction to other support Coaches and Staff involved with the Academy.
- The ability to attain excellence from players, coaches, staff and all stakeholders through the establishment of a 'winning culture.
- Effective management skills that reflect ability to build and successfully implement long-term strategic plans that are supported by informed operational decisions.

Scoring Criteria for Head Coaches

Sr. No.	Parameters	Maximum Marks
1.	Coaching Aptitude & Knowledge (including Rules & Regulation of the Game, Knowledge about High Performance Environment and knowledge about basic Sports Science)	10
2.	Management and Administrative skills	6
3.	Communication Skill	5
4.	General Attitude	5
5.	Basic Knowledge of Computer	4
	Total	30

JOB DESCRIPTION OF HEAD COACH :-

Responsibilities :-

Head Coach's roles vary hugely according to context, but typical work activities are likely to include:

Performance management :-

Evaluating performance and providing suitable feedback, balancing criticism with positivity and motivation.

Assessing strengths and weaknesses in an athlete's performance and identifying areas for further development.

Adapting to the needs and interests of group or individual trainees.

1.1.2 Communicating instructions and commands using clear, simple language.

1.1.3 Encouraging participants to gain and develop skills, knowledge and techniques.

1.1.4 Ensuring that trainees train and perform to a high standard of health and safety at all times.

1.1.5 Inspiring confidence and self-belief.

1.1.6 Developing knowledge and understanding of fitness, injury, sports psychology, nutrition and sports science.

1.1.7 Working with IT-based resources to monitor and measure performance.

1.1.8 Acting as a role model, gaining the respect and trust of the people.

1.1.9 Liaising with other partners in performance management, such as Coaches, Physiotherapists, Doctors and Nutritionists.

1.1.10 Working to a high legal and ethical standard at all times, particularly in relation to issues such as child safeguarding gender equality and health and safety requirements including protection from sexual harassment

PLANNING AND ADMINISTRATION :-

1.1.11 Producing personalized training programmes.

1.1.12 Maintaining records of trainees performance.

1.1.13 Coordinating trainees attendance at meetings and other sports events

1.1.14 Planning and running programmes of activities for groups and individuals.

1.1.15 Co-coordinating with other coaches for transporting trainees to and from training sessions and sports events;

1.1.16 Seeking and applying for sponsorship agreements by engaging all stakeholders.

1.1.17 Finding appropriate competitions for participants.

क्रमश:

1.1. 18 Planning work schedule in consultation with other coaches.

-: COMMON TERMS & CONDITIONS :-

a) Tenure:

The contractual engagement will be initially for a period of one year further extendable on the basis of satisfactory performance, periodic reviews, result oriented, etc. and at all times coterminous with the Director, Sports & Youth Welfare. The contract can be terminated by giving a 30 days' Notice period by either party, ie. Director, Sports & Youth Welfare. or the employee. In cases of extreme impropriety by the employce, the contract will be terminated immediately without prior notice.

b) Tax Deduction at Source:

The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the Director, Sports & Youth Welfare will issue TDS/Service Tax Certificates, as applicable.

c) Other Allowances:

No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. No other facilities like DA. Accommodation, Residential Phone, Conveyance Transport, Personal Staff. Medical reimbursement, HRA and LTC etc. would be admissible.

d) Extension:

Performance of the selected candidates would be continuously reviewed and their extension will be considered on the basis of periodic review/requirement.

e) Leave:

Selected candidates will be entitled for 30 days leave in a calendar year on pro-rata basis. Thereafter, candidates shall not draw any remuneration in case of his/her absence beyond 30 days in a year. Also unveiled leave in a calendar year will lapse and will not be carried forward to the next calendar year.

CONFIDENTIALITY

Selected persons will not be allowed to publish a book or a compilation of articles or participate in a radio broadcast or contribute an article or anon ymously or pseudonymous in the name of any other person, if such book. article, broadcast, uses any information that he/she may gather as part of this assignment.

b) During the period of engagement with Director, Sports & Youth Welfare. Employee would be subject to the provisions of the Indian Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered by him/her during the period of his/her engagement to anyone who is not authorized to know.

c) The Selected personnel at no instance can represent or give opinion or advice to others in any matter, which is adverse to the interest of the Government.

OTHER CONDITIONS:-

a) The applications received will be scrutinized/shortlisted on the basis of relevant experience and job description and the eligible candidates will be called for Interview at cost to the applicant.

b) Candidates applied for more than one post will be interviewed only once.

c) In case he/she is required to proceed outstation from the place of posting on tour for official duty, he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules.

d) In case the performance of Candidate is not found satisfactory, his/her services will be discontinued after giving one month notice.

e) Without any prejudice to the above condition, the candidate will be terminated from his services with immediate effect without any obligations, in case the candidate is found guilty of violating any of the conditions contained in the terms of employment or is guilty of any misconduct

f) including negligence of duties, unauthorized absence, etc. Decision of Director, Sports & Youth Welfare in all matters regarding eligibility, selection and posting would be final and binding upon all candidates. No representation or correspondence will be entertained Director. Sports & Youth Welfare in this regard.

g) Director, Sports & Youth Welfare reserves the right to cancel the advertisement and/or the selection process at any stage without assigning any reason.

h) The Director, Sports & Youth Welfare shall be the final authority in case of any dispute.

i) The appointment will be purely on contract basis and does not confer any right to claim to permanent employment in Director, Sports & Youth Welfare.

j) Any litigation matters pertaining to employment at Director, Sports & Youth Welfare shall be restricted to the jurisdiction of the Raipur courts.

k) Organization reserves the right to terminate the contract, by giving one month notice to Candidates.

1) Eligible and willing candidates may submit their applications in the prescribed Performa attached at Annexure A along with the Excel Sheet on or before 30.04.2025 till 05.30 PM by registered/speed post to Director, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur. Pin Code 492010.

m) Owning to the requirement in Director, Sports & Youth Welfare, a list of panels may be drawn which will be valid for a period of one Year. Director, Sports & Youth Welfare reserve the right to cancel the panel without assigning any reason.

n) The date of birth, accepted by the Director, Sports & Youth Welfare is that entered in the Matriculation/ Secondary examination will be accepted.

0) Scanned copy of No Objection Certificate from their present employer, in case working in Central/ State Government/ Autonomous Organizations on regular basis.

GENERAL INSTRUCTIONS

(All the instructions given below must be strictly followed or else the application is liable to be rejected)

WHO CAN APPLY:

Applications are invited only from Indian citizens who fulfil eligibility criteria of essential educational qualification and essential work experience (as for norms).

1. After initial registration is completed online, the candidate must upload the following documents in the below mentioned order. Self- attested documents in PDF format are to be uploaded.

2 The order of documents is as follows:

a) Online application printout.

b) Document for DOB:

c) Mark sheet of graduation degree.

d) Degree certificate of graduation course.

e) Mark sheet of post graduate degree.

D Degree certificate of post-graduation course

g) Work experience.

h) Documents supporting sports achievement.

i) Document as per norms of post.

3 The responsibility of ensuring genuineness of the certificate lies completely on the candidate by self-attestation. Director, Sports & Youth Welfare reserves the right to discard experience certificates which do not provide correct details as mentioned above. Website links could be provided to ascertain genuineness.

4 Candidates will be called for the interview on the criteria as mentioned above. Hence, fulfilment of eligibility criteria does not entail that candidate will be considered for the interview.

क्रमश

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

संशोधित विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दी गई सहमति एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-01/2024/आ.प्र./1-3, दिनांक 31.05.2024 द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को दिनांक 31.03.2025 तक के लिए समाप्त किया गया है, के आधार पर छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में निम्नलिखित रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, पदों का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या के स्थान पर कुल रिक्तियों की संख्या प्रतिस्थापित कर, रिक्तियों की संख्या/आरक्षित पदों में संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग. के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	योग	सांतवा वेतनमान
		अना.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व	अना.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व	अना.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	उपअभियंता (सिविल) (बैकलॉग)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	01	01	05 OA, OL-03 (One Arm, One Leg) HH-02 (Hearing Impairment)	08	लेवल-8 बेसिक पे-35400
2	उपअभियंता (सिविल) (नियमित)	41	12	31	13	12	03	09	03	04	01	03	01	07 OA,OL-03 (One Arm, One Leg) HH-04 (Hearing Impairment)	97	लेवल-8 बेसिक पे-35400
3	उपअभियंता (वि./या.) (बैकलॉग)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	04	01	01 HH-01 (Hearing Impairment)	07	लेवल-8 बेसिक पे-35400
4	उपअभियंता (वि./यां) (नियमित)	04	01	03	01	01	-	-	-	-	-	-	-	01 OL-01 (One Leg)	09	लेवल-8 बेसिक पे-35400

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उक्त पदों के लिए परीक्षा दिनांक 20.07.2025 को आयोजित की जायेगी, संशोधित विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, भर्ती प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें, परीक्षा शहर आदि संबंधी जानकारी व्यापमं के वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखे जा सकते हैं, उपरोक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता,
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.15/जी-252600184.6

(पिछले पृष्ठ का शेष)

5 the candidates should note that their candidature at all the stages will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. if, on verification at any stage, before or after interview, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature will be cancelled by Director, Sports & Youth Welfare.

6 **Age Limit:**
Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/ Secondary Examination will be accepted. The maximum age limit will be calculated as on the last date of applications of this notification.

7. Note: Selected candidates will be required to produce the original certificates mentioned in application at the time of joining. failing to submit the required certificates in original at the time of joining will lead to cancellation of candidature.

Call letters for interview:
The call letters for interview shall be communicated electronically in the valid and functional email id provided by the candidate in the application form. Candidates should check their registered email regularly for updates regarding interview dates and other relevant details. Any variation in the details provided and documents submitted will lead to rejection of the candidate.

CRITERIA FOR SHORT LISTING OF CANDIDATES FOR THE INTERVIEW:- Candidate will be shortlist in the ratio of 1:5 for which necessary documents to be attached along with the application.

How to Apply: The candidate has to apply only registered/speed post by submitting their applications (in proper format) on Director, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010. Applications received through any other mode would not be accepted and summarily rejected.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:
The schedule for applying online is given below:-

i. Opening date for submission of Application form 08/04/2025 -from 10.00 AM

ii. Closing date for Application form -30.04.2025 till 05.30 PM

Director
Sports & Youth Welfare
Chhattisgarh, Raipur

आर.ओ.14/जी-252600158.3

विकास आयुक्त कार्यालय

विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लाक नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

फोनः 0771-2960220 पिन कोड-492002 E-Mail ID establishment.vak@gmail.com

क्रमांक 1834/वि-2/स्था/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/04/2025

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-07/2024/22-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.03.2024 द्वारा वित्त विभाग के जावक क्रमांक 203/सी.एन 22-0061/बजट-2/वित्त/चार 2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 200 पदों की पूर्ति की सहमति के आधार पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

1. ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि छ.ग. व्यापम द्वारा जारी :-

सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु संभावित परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे -

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	07.04.2025 (सोमवार)
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	02.05.2025 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3.	त्रुटि सुधार	03.05.2025 से 05.05.2025 सायं 5:00 बजे तक
4.	परीक्षा की संभावित तिथि	15.06.2025 (रविवार)
5.	परीक्षा का समय	पूर्वान्ह
6.	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	06.06.2025 (शुक्रवार)
7.	परीक्षा केन्द्र	33 जिला मुख्यालयों में।

उक्त भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के सम्बंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किये जाने के सम्बंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2 /2022/एक (1), दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapameg.egstate.gov.in पर उपलब्ध है।

रिक्त पद एवं विभागीय नियम

पद का नाम	-	सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO)
वेतनमान	-	लेवल 6, ग्रेड वेतन 2400 छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
संभावित कुल रिक्तियों की संख्या	-	200 (रिक्त 193 एवं बैकलॉग अजजा-2, बैकलॉग दिव्यांगजन -5 (दृष्टिबाधित) कुल 200)

2. श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :-

क्र	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल रिक्तियों की वर्गवार राख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ भू.पू.सैनिको के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	193	81	23	62	27	24	6	18	8	8	2	6	2	14 (OA,OL-5, HH-5, LV-4,)
	बैकलॉग	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			5-LV

महत्वपूर्ण टीप -

1. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं, संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी "विकास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियां / चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।
3. विज्ञापित बैकलॉग पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां / चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण क्रमांक WP(S) No. 4788/2020, WP(S) No. 3029/2020, एवं WP(S) No. 4491/2020 में पारित आदेशों के अध्याधीन होगी।

3. पात्रता एवं शर्तेः-

(i) शैक्षणिक अर्हता का विवरणः-

क्र	पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हता
1	2	3
01	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	(एक) किसी भी "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो। तथापि, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि /स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी" (दो) मेरिट सूची, प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंको का 85% अधिभार देते हुए तैयार की जायेगी तथा अतिरिक्त 15 अंक, उन अभ्यर्थियों को दी जायेगी जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करते हों।

क्रमशः

टीप:-

- व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि / स्नातकोत्तर उपाधि / स्नातकोत्तर पत्रोपाधि / अंतःकालीन प्रमाण पत्र / छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण (सामान्यतः हाईस्कूल / मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर / वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है।
- प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गयी है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, "नियुक्ति प्राधिकारी" द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।

4. आयु सीमा (विभागीय भर्ती नियम अनुसार):-

- **सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद के लिये अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20** वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष परन्तु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर दिनांक 18.01.2024 में दिये गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारो के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

  आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के संदर्भ में की जावेगी।

नोटः- आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी।

अन्य शर्तेः-

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगीः-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोमुक्त किया गया हो ।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा है और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी किया गया हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं,

(5) ऐरो अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छः मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय, आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(iv) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चत्तर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(v) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान या "राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vi) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मंडल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vii) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी., किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) उपरोक्त किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु, आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. पदों का आरक्षण :-

(i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ii) राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम / निर्देश लागू होंगे।

(iii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट का लाभ (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

(iv) दिव्यांगजनः दिव्यांगता से बाधित केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवाओं/ पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया के साथ) चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति के समय दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता के संबंध में घोषणा पत्र / शपथ पत्र (स्वयं) प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-13-4/2019/आ.प्रा./1-3 रायपुर दिनांक 05.03.2019 दिव्यांगजनों के लिए जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(vi) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-20-4/2014/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 27.09.2014 में संलग्न समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन का छ.ग. राजपत्र क्र. एफ 1-21/2014 / सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 प्रकाशन तिथि 26 सितम्बर 2014 के कंडिका 4 अनुसार दिव्यांगता से

क्रमशः

ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित पदो की सूची जारी की गई है जिसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद हेतु निःशक्तजन की निम्न श्रेणी चिन्हांकित हैः-

क्र.	पदनाम	निःशक्तजन का श्रेणी
1	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	OA,OL, LV,HH

शब्द संक्षेपः- OA (एक बाजू), OL (एक पैर), LV (कम दृष्टि), HH (श्रवण बाधित), ।

6. जाति प्रमाण पत्र :-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ. प्र/1-3, दिनाँक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. नियुक्ति के लिए अन्य शर्तेः-

(i) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजन, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी विवाद अथवा शंका होने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता श्रेणी के संबंध में आवश्यक परीक्षण करावें तथा राज्य मेडिकल बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) आनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लेंवे कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(v) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा ।

(vii) चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा।

(viii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी।

(ix) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नही किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(x) अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी " विकास आयुक्त" के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा।

(xii) छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जावेगा। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

8. नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

I. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी।

II. व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार की जावेगी।

III. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विकास आयुक्त, छत्तीसगढ, नया रायपुर के पास सुरक्षित होगा।

IV. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forward) नही किये जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।

VI. भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।

VII. दिव्यांगता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध व्यक्ति नहीं हो तो इसे दिव्यांगता की श्रेणियों के बीच अदला-बदली करके भरा जावेगा।

VIII. यह नियुक्ति छ.ग. राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तयों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखण्ड / जिलों में पदस्थापना दी जाएगी।

IX. अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतयाः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

X. प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा चयन के किसी भी स्तर पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9. परिवीक्षा :-

छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन का वित्त निर्देश 33/2023 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.5 अनुसार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा।

10. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम /मंडल / उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आनलाईन आवेदन कर सकते है, परंतु उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तथा संबंधित संस्था द्वारा उन्हें भारमुक्त नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है, तो इसके लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन / अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. अनर्हता : छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी-

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / नही होगी। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाय।

परंतु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाय, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

क्रमशः

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुन्द (छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) कमांक 427 Of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union Of india में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 We the Women in India Vs Uniion Of India & Ors. Write Petition(s) (Civil) No (s) 1156/2021 तथा Write Petition No. 427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union Of india मे पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुक्रम में लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 प्रावधानों एवं लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाईन के क्रियान्वयन हेतु जिले में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति / संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

सपोर्ट पर्सन हेतु निर्धारित योग्यताएं निम्नानुसार होगी :-

1. व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social work) या समाजशास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
2. स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष से कार्यरत हो।

जिले में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनल्ड होने के इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय संस्था / संगठन निर्धारित प्रारूप में अपनी रूचि की अभिव्यक्ति को दिनांक 05.05.2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुन्द (छ.ग.) में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से जमा कर सकते है। रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र प्रारूप, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी पत्राचार का पता एव आवेदन प्रकिया का विवरण विभाग की वेबसाईट https://mahasamund.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव
जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति
जिला महासमुन्द (छ.ग.)

आर.ओ 16/जी-252600325.4

(पिछले पृष्ठ का शेष)

किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाये।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

12. परीक्षा पाठ्यक्रम :-

सहायक विकास विस्तार अधिकारी हेत निर्धारित पाठ्यक्रम में आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी के कुल 100 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले/काले डाट पेन से गोला लगाना होगा।

पाठ्यक्रमः-

1. सामान्य अध्ययन
2. छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन
3. ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज
   - आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी।
   - पंचायती राज की जानकारी।
   - ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी।
4. सामान्य हिन्दी।

नोटः विस्तृत जानकारी पृथक से संलग्न है।

13. अन्य :-

नियुक्ति की परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

महानिदेशक नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

"छत्तीसगढ़ होमगार्ड के 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी हेतु) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना"

होमगार्ड विभाग में 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष-2024 में शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा 04 संभागीय केंद्रो में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में आयोजित की गई थी। जिसमें पात्र कुल 20,137 अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये चयनित किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट https:firenoc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिये छ.ग. व्यापम वेबसाईट https:\\vyapamcg.cgstate.gov.in के लिंक में जाकर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा आबंटित एप्लीकेशन आईडी एवं जन्मतिथि डालकर अभ्यर्थी छ.ग. व्यापम की वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे। व्यापम द्वारा पंजीयन नंबर पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। जिन पात्र अभ्यर्थी द्वारा छ.ग. व्यापम के वेबासाईट में जाकर पंजीयन एवं आवेदन सबमिट नहीं किया जायेगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा होमगार्ड विभाग के वेबसाईट पर पूर्व में जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाईट पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य है लिखित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	-	16.04.2025 (बुधवार)
2	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि	-	30.05.2025 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3	परीक्षा की संभावित तिथि	-	22.06.2025 (रविवार)
4	परीक्षा का समय	-	पूर्वान्ह (02 घंटे)
5	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	-	13.06.2025 (शुक्रवार)
6	परीक्षा केन्द्र	-	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर

महानिदेशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

आर.ओ.17/जी-252600344.4

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3. द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन 0771-2636413 फैक्स 0771-2263412)
(Emall-highereducation.cg@gmail.com Website-www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक /1239/251/आउशि/अराज. स्था/2023 अटल नगर, दिनांक 16.04.2025

-:: दस्तावेज सत्यापन की सूचना ::-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा-2023 में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रावीण्य सूची कम में अतिरिक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं संगत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य निम्नांकित तिथियों एवं स्थान पर किया जावेगा।

क्र	स्थान	सत्यापन तिथि	समय
1	क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/रूसा कार्यालय, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)	28 एवं 29 अप्रैल 2025	प्रातः 10.00 बजे से

सत्यापन के संबंध में जानकारी एवं निर्देश विभागीय वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(जनक प्रसाद पाठक)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर

आर.ओ.18/जी-252600332.4

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002 (छ.ग.)
फोन नं.-0771-2511766 एवं-0771-2511881 Email- handloomraipur@gmail.com

क्रमांक/हा./SCDP/Desinger/एफ-150/2025-26/ नवा रायपुर, दिनांक .04.2025

INVITING EXPRESSION OF INTERESTS (EoIS) for DESIGNER

Expression of Interest (EoIs) are invited for engaging Textile Designer in Small Cluster Devlopment Programme (SCDP) at Kurud (Bhakhara) Dist- Dhamatari and Ambagarh Chowki Dist- Mohala-Manpur-Ambagarh Chowki under National Handloom Devlopment Program (NHDP)

The designer will be selected through evaluation of his/her profile and experience in the relevant sector. The detail of eligibility criteria, broad Term of Reference (ToR), guidelines for submission of EoIs and other term and condition are available on the website www.ruralindustries.cg.gov.in.

The elegible organizations/agencies/individuals interested in rendering their services as Designer may submit EoI in sealed envelope, superscribing the title "EoI for engaging Designer at SCDP Kurud (Bhakhara) Dist- Dhamatari and Ambagarh Chowki Dist- Mohala-Manpur-Ambagarh Chowki " within 21 days of the date of advertisement to " Director, Directorate of Rural Industries (Handloom Division), Indrawati Bhawan, Block-A, Fourth Floor, Nawa Raipur Atal Nagar 492002" In case, the 21st day falls on a holiday, the next working day will be considered as the last day.

Expression of Interests (EoIs) for engaging Textile Designer in Small Cluster Development Programme (SCDP) under National Handloom Development Program (NHDP) at Kurud (Bhakhara) Dist- Dhamatari and Ambagarh Chowki Dist- Mohala-Manpur-Ambagarh Chowki implemented by Director, Directorate of Rural Industries (Handloom Division), Indrawati Bhawan, Block-A, Fourth Floor, Nawa Raipur Atal Nagar Last date of receipt of EoI: 21 days from the date of the advertisement. In case the 21st day falls on a holiday, the next working day will be considered as the last day.

Introduction :-

In Small Cluster Development Programme (SCDP) under National Handloom Development Program (NHDP), a qualified Designer/Agency will be engaged by the Implementing Agency for developing innovative designs and marketable products for the cluster. Designer will develop the design portfolios, which will be further developed into sellable products by the handloom weavers who do not have much exposure to market and thus not aware of the consumer preference and other market trends. Once the design portfolio is developed, the process of product development will begin with the support of the Implementing Agency. Products will be developed by the weavers of the Implementing Agency of the cluster. The total cost of designs and sample development will be borne from the funds provided under Product Development intervention by the GoI to the IA. Designs created by the designers will be provided free of cost to the willing weavers of the cluster.

1. Objective :-

The objectives of engagement of Designer in SCDP are as follows:

1. To assist the Implementing Agency (IA) in modifying the designs, colour combination and textures of the fabrics and product samples.
2. To develop a range of handloom products as per market requirements.
3. To train weavers and technical staff of the Implementing Agency to convert paper designs into fabrics/end products.
4. To coordinate with the marketing consultant and the Implementing agency for establishing market linkages with the importers/buying agents/overseas buyers for marketing of the products developed under the project from the stage of designs into products.
5. To document the designs and products developed.
6. Design development activities include designer input towards textile techniques, motifs, design & color trend and redefined usage of fabrics, usage of existing garment styles, product development using new techniques.

2. Eligibility Criterion :-

A firm/agency is eligible to support the cluster by providing their designer by fulfilling the eligibility norms. In such a case, CV of the designer should be forwarded by the agency concerned to the Implementing Agency (IA). If the designer recommended by the agency is engaged in the cluster, he/she will continue to work in the cluster. However, change of the designer in the cluster is permitted only on two occasions and that to with the prior permission of the IA. An individual, fulfilling the eligibility norms can also apply directly to the IA.

Eligibility Norms:-

The applicant should have passed out from the Textile Design Institute of repute. The applicant should have at least 2 yrs. experience of working as Textile Designer, preferably with experience of working in handlooms and should have track record for promotion and development of textile including handlooms.

3. Duration of the Project :-

Project duration is for 3 years. The designer will be engaged initially for one year which is extendable, subject to satisfactory performance. If the performance of the designer is not found satisfactory, his/her services shall be discontinued at any time, even before completing a year.

4. Scope of Work :-

(a) Design Development

Selecting the right yarn keeping design and products in mind. Work on the combination of weaves/motifs and patterns/colour ways/value addition/design concepts/colour references in the form of pantone number or thread card number to be provided along with designs (if required)/prototype (sample) development.

(b) Product Development

Develop various product ranges like yardages, sarees, furnishing articles keeping in mind the weave and patterns of cluster and how it can be modified according to need of local, national and international market. The designer shall identify the products before commencement of the project by visiting the cluster. The designer will provide only those ranges of products, which are acceptable to the targeted market/buyer and shall be responsible

क्रमशः

for the success of the products.

(c) Train the weavers

To train/enroll the weavers to translate the paper designs onto the fabric.

(d) Marketing of the handloom products

To ensure marketing of the new products developed by the designer.

(e) Documentation of the Designs & Products developed

To document the designs and products developed by the designer.

5. Project Work

(f) Extensive field visits to the cluster to identify the various types of design skills of the different weaver groups.

(g) Assess existing design patterns and products of the cluster and suggest the product Range.

(h) Each design is to be developed at least in two colour ways.

(i) Assist implementing agency in marketing the developed products.

(j) Designer has to stay atleast for 15 days in every month in the cluster for undertaking the assigned activities.

(k) Weavers' Service Centre (WSC) concerned will be actively involved in supervision of the work of the designer engaged.

6. Project Fees:-

Designer shall be paid as follows;

a. Fixed remuneration @ Rs. 30000/- per month.

b. Lump sum payment to meet the expenditure towards local travel, telephone etc. @ Rs. 500/- p.m.

c. Re-imbursement of cost of TA/DA for travel to attend the meeting convened by the State Commissioner/Director of Handlooms/Head of Office of Weavers' Service Centre @Rs. 800/- per day for stay in Hotel and travel by Public transport i.e. 3rd AC train/Deluxe Bus, subject to actuals on production of relevant documents.

Table 1: Monthly targets/deliverables for Designer:

S. No.	Minimum targets / deliverables	Quantity
1	Number of new designs to be developed (each design to be in minimum 2 colour ways)	10
2	Number of products to be developed, including sampling/ prototypes	02
3	Number of designs/products to be marketed/obtaining production orders	01
4	Training to cluster weavers for developing samples/ prototypes	05

Note:

(a) The designer has to ensure marketing, promotion and support for sales of the new product/ samples developed. The designers may also be evaluated quarterly on the basis of the above parameters. The emphasis however must be on the quality of designs, design intervention and increase in sales/orders.

(b) IA has to submit monthly progress report of designer work to the Commissioner/Director of Handlooms and WSC concerned.

7. Designer Selection Criteria

The designer shall be selected by a Committee .

Selection will be made on the assessment of the profile of the designer.

Qualifications and the relevant experience for handling similar projects.

The committee reserves the right to recommend amendments in the proposed project.

The selection in that case will be subject to incorporation of those amendments.

Decision of the committee shall be final and binding on all the applicants

7.1 Marking Criterion

Qualification (20%)

Years of experience (20%)

Experience of working in handloom sector (30%)

Approach and methodology towards development of proposed cluster, etc. (30%)

7.2 Procedure for Submission of Expression of Interest

The following are to be submitted in sealed cover:

Designer's profile in brief with details of experience in designing, promotion and product development in the handloom/textiles sector including awards won and details of its creativity, works done in the past in connection to the scope of the work suggested.

Proof of Experience and of handling relevant activities mentioned.

Any other supporting documents relevant to the project

Copy of concept of depicting and focusing on development of Handlooms by providing design inputs and promotion to the domestic and international market

8. Other Information

Applicants may submit requests for clarification to this EoI by sending an email on our address handloomraipur@gmail.com. Clarification requests must be received by www.ruralindustries.cg.gov.in.. The selected Agency/individual has to sign an Agreement with the Implementing Agency for rendering satisfactory services and completion of the projects in a time bound manner.

9. Last Date for Submission of EoI The last date for submission of EoI is 21st day from the date of advertisement (upto 3.00 p.m). The EoI received after due date shall not be accepted. The EoI should be addressed to Director, Directorate of Rural Industries (Handloom Division), Indrawati Bhawan, Block-A, Fourth Floor, Nawa Raipur Atal Nagar 492002". The envelope should clearly be marked 'Proposal for engaging Designer/Agency for the Kurud (Bhakhara) Dist- Dhamatari and Ambagarh Chowki Dist-Mohala-Manpur-Ambagarh Chowki Cluster'. The applications should reach within 21 days from date of publication of advertisement.

10. Rights of Implementing Agency

The Implementing Agency reserves the right to accept / reject the proposals received without assigning any reasons whatsoever, or may call for any additional information/clarification, if so required.

11. Court Jurisdiction

This shall be subject to the exclusive jurisdiction of local courts. 12. Miscellaneous In case any further clarification or information is required, following may be contacted: " Director, Directorate of Rural Industries (Handloom Division), Indrawati Bhawan, Block-A, Fourth Floor, Nawa Raipur Atal Nagar 492002" Tel-0771-2511766

13. Attachments to be furnished with EoI

(i) CV of the applicant

(ii) Documents establishing the credential of the Designer qualification of the designer, years of experience, working experience in handloom sector, approach and methodology towards development of cluster etc. should be submitted as part of EoI.

(iii) If a company/agency is recommending a designer, profile of the company/agency along with the CV of the designer should be submitted.

Director

Rural Industries Handloom

Chhattisgarh Raipur

क्रमशः

Application for the post of Designer

PHOTO

Personal Information :-

1. Name of Applicant :-
2. Father's/Husband Name :-
3. Date of Birth :-
4. Gender :-
5. Marital Status :-
6. Nationality :-
7. Language :-
8. Mobile No. :-
9. Email ID :-
10. Address :-

Educational Detail :-

Course	Name of Board	Passing year	Percentage/Grade
10th			
12th			
Graduation			
Post Graduation			
Other			

Experience Detail :-

Post Name	Employer	Duration	Remark

Declaration

I hereby declare thst information given above is correct and true.

Date :-

Place :-

Signature of Applicant

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ

सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर

दूरभाष नं.-0771 Email-dir-sportsyw.cg@gov.in Web-www.sportsyw.cg.gov.in

क्रमांक / खेल अका. /2024-25/3549 रायपुर, दिनांक 28/03/2025

//सूचना//

रायपुर जिले में संचालित विभागीय आवासीय खेल अकादमी तीरंदाजी (बालक/बालिका), एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित होने वाली आवासीय खेल अकादमी फुटबॉल (बालिका) में खिलाड़ियों के नवीन प्रवेश हेतु चयन ट्रायल का आयोजन दिनांक 21 से 23 अप्रैल 2025 तक (3 दिवस) तथा आवासीय खेल अकादमी हॉकी (बालक/बालिका) एवं एथलेटिक्स (बालक/बालिका) का चयन ट्रायल का आयोजन दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2025 तक (3) दिवस) में किया जाएगा। उक्त चयन ट्रायल समय प्रातः 07.00 बजे से खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के अनुसार किया जा रहा है। इस चयन ट्रायल में राज्य के बालक/बालिका खिलाड़ी एवं अन्य राज्यों के 13-17 आयु वर्ग के खिलाड़ी सम्मिलित हो सकते है। जिसमें प्रथम दिवस खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण। द्वितीय दिवस शारीरिक दक्षता परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा, रायपुर में तथा तृतीय दिवस खेल कौशल परीक्षण तीरंदाजी खेल हेतु तीरंदाजी एरिना बालिका खेल छात्रावास के सामने मैदान, रायपुर में हॉकी खेल हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच-02 बालक खेल छात्रवास के सामने रायपुर में तथा फुटबॉल एवं एथलेटिक्स खेल हेतु स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम, रायपुर में किया जावेगा। चयन ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति के द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जावेगा। खेल अकादमी संचालन नियम 2014 अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक व्यय, खेल परिधान, प्लेईंग किट, दुर्घटना बीमा आदि सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। आवासीय तीरंदाजी खेल अकादमी, का चयन परीक्षण निर्धारित तिथि और स्थल पर किया जावेगा। चयन ट्रायल में सम्मिलित होने हेतु खिलाड़ी खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों से संपर्क कर सकते है, साथ ही खिलाड़ी सीधे आयोजन तिथि के प्रथम दिवस स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में प्रातः 07:00 बजे से पंजीयन करा कर सम्मिलित हो सकते है।

संचालक खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

महानिर्देशक नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

"छत्तीसगढ़ होमगार्ड के 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी हेतु) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना"

होमगार्ड विभाग में 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष-2024 में शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा 04 संभागीय केंद्रो में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में आयोजित की गई थी। जिसमें पात्र कुल 20,137 अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये चयनित किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट https:firenoc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिये छ.ग. व्यापम वेबसाईट https:\\vyapamcg.cgstate.gov.in के लिंक में जाकर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा आबंटित एप्लीकेशन आईडी एवं जन्मतिथि डालकर अभ्यर्थी छ.ग. व्यापम की वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे। व्यापम द्वारा पंजीयन नंबर पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। जिन पात्र अभ्यर्थी द्वारा छ.ग. व्यापम के वेबासाईट में जाकर पंजीयन एवं आवेदन सबमिट नहीं किया जायेगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा होमगार्ड विभाग के वेबसाईट पर पूर्व में जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाईट पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य है लिखित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	-	16.04.2025 (बुधवार)
2	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि	-	30.05.2025 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3	परीक्षा की संभावित तिथि	-	22.06.2025 (रविवार)
4	परीक्षा का समय	-	पूर्वान्ह (02 घंटे)
5	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	-	13.06.2025 (शुक्रवार)
6	परीक्षा केन्द्र	-	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर

महानिर्देशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

आर.ओ.19/जी-252600231.5

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/155/13/परीक्षा/2024 रायपुर, दिनांक 11 APR-2025

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 संबंधित सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23.12.2024 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2025/ परीक्षा/दिनांक 23.01.2025 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 18 मई 2025 (रविवार) को आयोजन हेतु सूचना क्रमांक 7203/13/परीक्षा/2024 दिनांक 05.03.2025 जारी की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WPS No 608/2025 Ms. Vinita Yadav Vs The State of Chhattisgarh में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.04.2026 के परिपालन में दिनांक 18 मई 2025 को आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) की प्रारंभिक परीक्षा-2024 को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

सचिव
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)

आर.ओ.20/जी-252600288.6

कार्यालय अधिष्ठाता

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail deanmedicalcollege surguja@gmail.com

क्र./2059/शा.चि.म./स्था./2025 अम्बिकापुर, दिनाँक 04.04-2005

Advertisement for Walk-In-Interview

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांकः एफ 3-53/2012/नौ/55-4 नया रायपुर, दिनांक 27/05/2016 के अनुपालन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर हेतु स्वीकृत, रिक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/रेसीडेंट चिकित्सको/ट्यूटर/प्रदर्शक/अधिकारियों के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु संस्था हित, मरीज़ हित व जन हित में, शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सायं 04:00 से वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है।

इस संस्था के विभिन्न विभागों आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक/गैर-चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड की अहर्त्ता (अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। इच्छुक उम्मीद्वार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकते हैं।

रिक्त पदों की जानकारी एवं वॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होने संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एकमुस्त पुनरीक्षित संविदा वेतन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांकः एफ 3-76/2024/55 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2024 के तहत् अनुसूचित क्षेत्र हेतु प्रदाय पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं कलेक्टर, जिला-सरगुजा छ.ग. द्वारा देय जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता विवरण पदवार निम्नानुसार देय है:-

क्र.	पदनाम	शासकीय संविदा वेतन	स्वशासी मद से वेतन	जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता	कुल समेकेतिक वेतन (संविदा वेतन + स्वशासी मद से वेतन + DMF प्रोत्साहन भत्ता)
1	Professor	2,25,000/-	-	60,000/-	2,85,000/-
2	Associate Professor	1,85,000/-	-	40,000/-	2,25,000/-
3	Assistant Professor	1,25,000/-	-	30,000/-	1,55,000/-
4	Senior Resident	95,000/-	-	-	95,000/-
5	Demonstrator(PG)	95,000/-	-	-	95,000/-
6	Casualty Medical Officer	50,000/-	50,000/-	20,000/-	1,20,000/-
7	Junior Resident	30,000/-	33,000/-	-	63,000/-
8	Tutor	30,000/-	23,000/-	-	53,000/-

संविदा भर्ती हेतु उम्मीद्वरों के लिए आवश्यक निर्देश

1. संस्था में रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/चिकित्सक वर्ग के पदों हेतु शैक्षणिक अहर्त्ता, आवश्यक अनुभव एवं आयु-सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश मापदण्ड अनुरूप ही मान्य होंगे।
2. संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम, ज्यादा अथवा विलोपित किये जा सकेगें, जिस पर उम्मीदवारों की कोई दावा स्वीकार नहीं होगी, मान्य नहीं होगी।
3. इच्छुक उम्मीद्वार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर (MBBS/BDS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) दस्तावेजों एवं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में पूर्व से नियुक्त उम्मीद्वार अपने नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, संनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति के साथ 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ संस्था के स्थापना कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। उपरोक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी स्वयमेव अपात्र माने जायेंगे।
4. संविदा भर्ती हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में स्क्रूटनी का कार्य प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् उपस्थित होने वाले उम्मीद्वारों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. शासकीय सेवा निवृत्त अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त उम्मीद्वार छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि वर्क रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
7. पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं अन्य विशेष वेतन प्रतिमाह है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टी.डी.एस. तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार अन्य कटौतिया किये जायेंगे।
8. संस्था हेतु स्वीकृत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक का पद पदोन्नति पद है एवं सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक ट्यूटर का पद सीधी भर्ती पद हैं, जिसके पदोन्नति / सीधी भर्ती की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कैलेण्डर वर्ष में प्रक्रियाधीन रहती है। अतः उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से करने पर संविदा सेवा नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अनुपालन में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक अथवा शासन द्वारा इस पद पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अथवा आरक्षित संवर्ग के उपर्युक्त उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये किये जायेगें।
9. संविदा नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय राज्य स्तर के किसी न्यायालय में दायर याचिका अथवा भविष्य में दायर होने वाले याचिका निर्णय में पारित आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
10. अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

आर.ओ.18/जी-252600182.6

Chhattisgarh Grameen Aajeevika Samvardhan Samiti
(CGSRLM-Bihan) (Under the aegis of Panchayat & Rural Development Department, Govt. Of Chhattisgarh)
2nd Floor, Vikas Bhawan, Sector 19, North Block, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh -492001
Phone No. 0771-2512395, 2960615
Email- mdcgsrlm@gmail.com, Website- www.bihan.gov.in

No.-CGSRLM/Proc./DDUGKY/STSA/RFP-001/2025-26 Dated: 14/04/2025

Request for Proposal

For Hiring Services of State Technical Support Agency (STSA) for Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojna (DDUGKY) under Chhattisgarh Grameen Aaajeevika Samvardhan Samiti (CGSRLM-Bihan)

Chhattisgarh Grameen Aajeevika Samvardhan Samiti (CGSR LM- Bihan) invites Proposals from eligible registered agencies/organizations for selection of ₹State Technical Support Agency (STSA) under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojna (DDUGKY)₹ in Chhattisgarh.

Interested agencies/organizations may submit their proposals in a sealed envelope clearly superscripted as ₹Proposal for DDUGKY STSA under CGSRLM₹ on or before 15th May, 2025 up to 15.00 hours. Agencies/ organizations may obtain further information and procedures for submitting the proposal from official website of CGSRLM-www.bihan.gov.in/procurement.

Mission Director, CGSRLM
Nava Raipur Atal Nagar (CG)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/143/12/विज्ञापन/ 2024 **नवा रायपुर, दिनांक : 11/04/2025**

शुद्धि पत्र

शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 11/04/2025

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक के कुल 30 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2025/परीक्षा/दिनांक 03/03/2025 प्रकाशन की तिथि 05/03/2025 जारी कर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/03/2025 से दिनांक 08:04/2025 तक आमंत्रित किए गए थे।

(2) सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में Digilocker के माध्यम से आधार आधारित वेलिडेशन के दौरान पंजीयन डाटा तथा आधार डाटा में भिन्नता होने के कारण कई अभ्यर्थियों को आधार में अथवा पंजीयन डाटा में संशोधन की आवश्यकता थी जिसके कारण कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

(3) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि करते हुए दिनांक 12:04/2025 पध्यान्हः 12:00 बजे से 26/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित की जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं एवं दिनांक 12/04/2025 से 26/04/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आवेदन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 27/04/2025 मध्यान्हः 12:00 बजे से 29/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 30/04/2025 मध्यान्हः 12:00 बजे से 02:05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किए जा सकेंगे।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो अपने आधार नम्बर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन न करते हुए अन्य आई.डी. के माध्यम से वेलिडेशन कराना चाहते हों अथवा जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उन अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन के डेशबोर्ड पर युनिक आई.डी. प्राप्त करने के लिए एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थी को संबंधित पद हेतु आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

(5) आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन अभिवचन करना होगा कि उसके द्वारा अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज उसके पास उपलब्ध है तथा पूरी तरह वैध एवं मान्य है इसके पश्चात् अभ्यर्थी को उसके ई-मेल आई.डी. पर एक यूनिक आई.डी. प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर वह आंनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेगा।

(6) उक्त प्रक्रिया हेतु रूपये 500/- (पांच सौ रूपये) एवं पोर्टल शुल्क जीएसटी शुल्क देय होगा।

(7) विज्ञापन क्रमांक 01/2025/परीक्षा/दिनांक 03.03.2025 की शेष समस्त शर्तें कण्डिकाएं यथावत रहेंगी।

सही
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.21/जी-252600268.5

कार्यालय, अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय बिलासपुर (छ०ग०)

सेंदरी-लोफंदी-कछार मार्ग, ग्राम सेंदरी, पिन-495009

क्रमांक/स्था/2025/828 बिलासपुर, दिनांकः- 11.04.2025

// चतुर्थ श्रेणी भर्ती हेतु विज्ञापन//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ०ग० शासन चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) नियम 19 फरवरी 2024 में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ०ग० रायपुर के पत्र क्र/स्था.अवि/450/2024/1461 दिनाँक 17.12.2024 के द्वारा राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी, बिलासपुर, के चौकीदार एवं भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अनुमति के उपरांत छ०ग० के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनाँक 15.04.2025 से 29.04.2025 तक बंद लिफाफे में (आवेदन केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें, कार्यालय में सीधे/सामान्य डाक स्वीकार नहीं किये जायेगें) सायं 5:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमांत्रित किये जाते है।

विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु सेवा भर्ती नियमानुसार सेवा संवर्गवार विहित शैक्षणिक अर्हतायें योग्यता निम्नानुसार है -

क्र	पदनाम	वेतनमान/लेबल	श्रेणी	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
1	भृत्य	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)	चतुर्थ	मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2	चौकीदार			

बिलासपुर संभाग के लिये लागू आरक्षण रोस्टर अनुसार पदवार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	भर्ती के रिक्त पद					
					संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू. सै	निःशक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भृत्य	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)	चतुर्थ	05	अनारक्षित	03	00	00	00	03
					अजा	01	00	00	00	01
					अजजा	01	00	00	00	01
					अपिव	00	00	00	00	00
					योगः-	05	00	00	00	05
2	चौकीदार	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)	चतुर्थ	01	अनारक्षित	00	00	00	00	00
					अजा	00	00	00	00	00
					अजजा	01	00	00	00	01
					अपिव	00	00	00	00	00
					योगः-	01	00	00	00	01

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापित पदो के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि, जिल बेलासपुर के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय,
ग्राम-सेंदरी, जिला- बिलासपुर (छ०ग०)

आर.ओ.22/जी-252600263.4

आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

। आकांक्षा आवासीय कोचिंग संस्थान में सत्र 2025-26 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना।

आकांक्षा कार्यक्रम जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 11 वीं कक्षा (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल) में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने हेतु 02 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि- **01.04.2025**
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- **30.04.2025**
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि- **मई का प्रथम सप्ताह**
आवेदन पत्र जमा करने का स्थान- **आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला पंचायत परिसर, जांजगीर चांपा छ.ग.**

(आवेदन पत्र केवल कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि 10:30 से 5:30 बजे तक ही जमा किया जा सकेगा)

क्र	कोर्स का नाम	कुल स्थान
1	मेडिकल	20
2	इंजीनियरिंग	40
	योग:-	**60**

आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए जांजगीर चांपा जिले के वेबसाईट www.janjgir-champa.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है एवं आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा से भी संपर्क कर सकते है।

डिप्टी कलेक्टर
एवं नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

मेडिकल/इंजीनियरिंग

"आकांक्षा" कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (सत्र 2025-26 के लिए)

नवीनतम् फोटो (छात्र/छात्रा)

1. छात्र का नाम :----------------------
2. पिता का नाम :----------------------
3. माता का नाम :----------------------
4. जन्मतिथि :--------शब्दों में -------
5. छात्र का आधार नंबर :---------------(छायाप्रति संलग्न करें)
6. छात्र का मोबाईल नंबर :----------------------
7. वर्ग (अजा/अजजा /अपिव/सा.) :----------------------
   (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पिता का व्यवसाय :----------------------
9. पिता की वार्षिक आय :----------------------
10. माता का व्यवसाय :----------------------
11. माता की वार्षिक आयः- :----------------------
12. नाता पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय :----------------------
    (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. स्थायी पता :----------------------
    :----------------------
    :----------------------
14. पत्र व्यवहार का पता
15. पालक का व्हाट्सअप नंबर :----------------------
16. पालक का मोबाईल नंबर :----------------------
17. ई-मेल आईडी (यदि है तो) :----------------------
18. पालक का आधार नंबर :----------------------
19. स्थानीय अभिभावक का नाम :---------------------
20. छात्र से संबंध :----------------------
21. स्थानीय अभिभावक का पता :----------------------
22. व्यवसाय :----------------------
23. आधार नंबर :----------------------
24. व्हाट्सअप नंबर :----------------------
25. मोबाईल नंबर :----------------------

छात्र के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

पालक का नाम----------------
छात्र से संबंध-----------------

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

मैं श्री--------के पुत्र/पुत्री----------- का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर
नाम ----------------

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का हस्ताक्षर

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

पालक का नाम----------------
छात्र से संबंध-----------------

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

मैं श्री------के पुत्र/पुत्री-------- का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।

क्रमशः

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर
नाम ----------------

छात्र/छात्राओं एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. यह कोचिंग कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल)।
2. छात्रावास में प्रवेश कक्षा 11वीं के लिए होगा जिसे छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर आगे कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए बढ़ाया जावेगा।
3. छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।
4. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपरान्ह 1.00 बजे से 5.00 बजे के बीच मिल सकते हैं। पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर ही मिल सकते है।
5. छात्र/छात्रा से मिलने वाले 2 लोगो का नाम, पता, गोबाईल नंबर एवं फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना वाहे तो नोडल अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि नोडल अधिकारी से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में ही मिल सकेंगे।
6. चयनित छात्र/छात्रा के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
7. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नंबर में परिवर्तन होता है तो उनको कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
8. छात्रावास में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
9. छात्रों को छात्रावास द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे प्रातः एवं संध्या प्रार्थना, खेलकुद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
10. पालको को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार व्यवहार आदि के संबंध में समय समय पर जानकारी लेते रहना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित पालक शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
11. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में पूरक की पात्रता होने या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
12. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिए सामग्रियाँ दी जाती है कुछ छात्र उन सामग्रियों को समय पूर्व ही नष्ट कर देते है अथवा गुमा देते है। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भवनों को अथवा सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
13. बिना अनुमति के छात्र विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
14. विद्यालय में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक / स्थानीय अभिभावक की होगी।
15. विद्यालय परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकुद, बीमारी अथवा किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते है तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
16. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
17. छात्र द्वारा विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है।
18. विद्यालय स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य होगी।
19. समय समय पर छात्रावास में परिवर्तित / संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

डिप्टी कलेक्टर/नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार 01 से 19 तक दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर　　स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर　　पालक का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा से मिलने वाले अन्य 02 व्यक्तियों का विवरण

1. नाम------------
2. छात्र से संबंध-----------
3. पता------------------
4. मोबाईल नंबर------------

छात्र से मिलने वाले का नवीनतम फोटोग्राफ्स

1. नाम------------
2. छात्र से संबंध---------
3. पता----------------
4. मोबाईल नंबर---------

छात्र से मिलने वाले का नवीनतम फोटोग्राफ्स

संयुक्त घोषणा

मै-------------छात्र/छात्र-------कक्षा-----------का पालक होने के नाते उपरोक्त 02 व्यक्तियों को छात्र/छात्रा से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा छात्रावास में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा। उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते है कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णता पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर　　छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर　　छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्रवेश सूचना

1. यह कोचिंग कार्यक्रम केवल जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है। जिसमें छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।
2. आकांक्षा आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय है जिसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन आदि की सुविधायें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
3. शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में जांजगीर चांपा जिले के आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें कुल सीटों का वर्गवार 30% छात्राओं के लिए आरक्षित है।
4. कक्षा 11वीं में प्रवेश केवल शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल)।
5. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शैक्षणिक अर्हता (10वीं मार्कशीट की छायाप्रति /इंटरनेट की सत्यापित छायाप्रति (प्राचार्य) से तथा अन्य अर्हता प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड) आवेदन के समय जमा करने होंगे। दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
6. चयन होने की स्थिति में छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल प्रति में आकांक्षा आवासीय विद्यालय में जमा करना होगा।
7. मेडिकल/इंजीनियरिंग कोर्स की अवधि 02 वर्ष की होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी।
8. चयन के पश्चात् संबंधित छात्र-छात्राओं को स्वयं के व्यय पर मुख्यालय स्थित शासकीय विद्यालय में अनिवार्य रूप से दाखिला लेना होगा।
9. एक विद्यार्थी द्वारा केवल एक ही प्रकार के कोचिंग (मेडिकल या इंजीनिरिंग) के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
10. चूंकि यह पूर्णतः आवासीय कोचिंग है अतः चयनित छात्र-छात्राओं को 02 वर्ष आकांक्षा आवासीय परिसर में रहकर ही अध्ययन करना होगा।
11. चयन प्रक्रिया : छात्र-छात्राओं का चयन कक्षा 10वीं (शैक्षणिक सत्र 2024-25) उत्तीर्ण। उक्त विषयों में केवल सैद्धांतिक में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे। प्रायोगिक के अंको को नहीं जोड़ा जावेगा।
    चयन हेतु 100 अंकों की स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। इसके पश्चात् मेरिट सूची के अनुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।
12. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें विज्ञान, गणित एवं मेडिकल, इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे की होगी।
13. प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी एवं छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जावेगा।
14. छात्रों को प्रवेश परीक्षा के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के समय सेनटाईजर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा के पास सुरक्षित होगा। कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. चयनित छात्र/छात्राओं को अपना प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
17. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

प.क्र./72/मबावि. / स्थापना शाखा / 2025-26 महासमुंद, दिनांक 16/04/2025

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र कमांक/7246/मबावि/2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10. 2024 एवं क्रमांक / 10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र कमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/प्रदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 30/04/2025 को समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुंद (छ.ग.) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Roles & Responsibilities
1.	साइको-सोशल काउंसलर	01 अनारिक्षत	25780 (लेवल-6)	45 वर्ष	• The service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in psychology/psychiatry/neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.	• She will provide psychological counselling and guidance to the woman affected by violence and support in referral sercices that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs. • She will help draft the case histroy of the women affected by violence.
2.	केसवर्कर	01 अनारिक्षत	18420 (लेवल-6)	45 वर्ष	• Any woman having Bachelor in Law / Social Work / Sociology / Social science/ Psychology with at least 3 years₹ experience of working on women related relevant domains in a Government or Non-Government project/programme. • She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effictive. functioning of the centre.	• Case Workers will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide assistance and supoort to the Centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work as assigned by the Centre Administrator.
3	कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	01 अनारिक्षत	18420 (लेवल-6)	45 वर्ष	• The sercices could be outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers/ IT ect with a minimum of 3 years experience in data management, process documentation and webbased reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT-based organizations	• Office Assistant will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • Office Assistant would generate the Unique ID of the women affected by violence through web based software. • She/he would document the case history as provided by the Centre Administrator, Counsellor, Paramedic, Lawyer and Police facilitation Officer and record proceedings for case management as well as develop the web based data, help in video conferencing, data entry operations etc. • She/he would be responsible for keeping record of CCTV footage at OSC. • She/he would follow strict proceedings to maintain privacy with regard to data generated and will ensure that name and other details of aggrieved women remain confidential in each step of case history documentation. • She/he will assist the police facilitation officer/counsellor/ Para medical Personnel to document the case history. • She/he would draft the monthly/quarterly report based on the MIS, web based data collection which would be approved at the level of the Centre Administrator for submission to the management Committee.

क्रमशः

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

2. आयु सीमाः-

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष सेकम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
2. आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।
3. पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा करफिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
6. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
11. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
12. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
13. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
16. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
17. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
18. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यु/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
19. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि 30/4/25 तक स्वीकार किए जाएगे।
20. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
21. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
23. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
24. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. नियुक्ति प्रक्रियाः सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावें।

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू क दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.10 छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा/2024/50 दिनाक 10. 09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र मे एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन- इटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।

3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर

क्रमशः

के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभलेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।

3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3. 4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4. नियुक्ति की अवधिः-

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.5 चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुन्द के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है।

4.7 सखी सेंटर महिलाओं से संबंधित संस्था है। उक्त संस्था में सभी पदों के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है। अतः केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-महासमुंद (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र मे होना चाहिए चस्पा करें।

1. आवेदित सेवा का नाम :------------------------
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :------------------------
   (अंग्रेजी में) :------------------------
3. पिता/पति का नाम :------------------------
4. स्थायी पता :------------------------
   :------------------------
   :------------------------
   :------------------------
   :------------------------
5. (पत्र व्यवहार का पता) :------------------------
   :------------------------
   :------------------------
   :---------दूरभाष / मो.नंः----
6. जन्मतिथि (अंको में) (शब्दो में) :-------------------------
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :---------------------------
8. लिंग पुरुष / महिला :---------------------------
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति---------वर्ग------
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ?:----------
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :----------
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व :----------
    जीवित बच्चों की संख्या
13. शैक्षणिक योग्यताः-
    (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :-----------------------
15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-----------------------

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-
    1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकूसची योग्यतानुसार।
    2. 12 वीं अंकसूची
    3. स्नातक की अंकूसची
    4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
    5. व्यवसायिक पाठ्यकय का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
    6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
    8 जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
    9. 01 लिफाफा जिसमें 05 रू. का डॉक टिकट चस्पा हो।
17. अन्य संलग्नकों का विवरण
    2. :------------------------------------
    3. :----------------------------------
    5. :----------------------------------
    6. :----------------------------------
    8. :----------------------------------
    9. :----------------------------------

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः-
दिनांकः-

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

सुशासन तिहार 2025

25 रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़

समस्याओं का समाधान
आपके शहर, आपके ग्राम

08 अप्रैल से 31 मई, 2025

प्रथम चरणः
समस्या संबंधी आवेदन
(08 से 11 अप्रैल, 2025)

द्वितीय चरणः
आवेदनों का निराकरण
(लगभग 01 माह)

तृतीय चरणः
समाधान शिविर
(05 से 31 मई, 2025)

संवाद से समाधान तक

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन से समृद्धि की ओर

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो